**R.C.T. No.398/2022**

**State of M.P. V/S Anil singh baghel**

**न्यायालय–राम अचल पाल , न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर, जिला–शहडोल(म0प्र0)**

**CNR-M.P. 18070012602022**
**Registration No. 398/2022**
**Filing No. 1026/2022**
**Filing Date 17/10/2022**

**म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जयसिंहनगर जिला–शहडोल (म0प्र0)**

**..................... अभियोजन**

**विरूद्ध**

**अनिल कुमार सिंह बघेल पिता नर्वदा सिंह बघेल उम्र 45 वर्ष ग्राम अमझर , थाना मझौली जिला सीधी म0प्र0**

**.......................अभियुक्त**

---

**थाना जयसिंहनगर के अपराध कमांक 536/2022 भा0दं0सं0 1860 की धारा 304,429,184 से उदभूत प्रकरण।**

---

**// उपार्पण आदेश//**
(आज दिनांक **12.12.2022** को पारित)

**1.** उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केंद्र जयसिंहनगर जिला शहडोल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा **304, 429 एवं 184** के अंर्तगत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**2.** अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनॉक 30.09.2022 को सुबह करीब 11 बजे उक्त बस से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई, जिससे चरवाह शिवप्रसाद यादव पिता छब्बू यादव उम्र 60 वर्ष निवासी करकी की मृत्यु हो गई तथा नारायण सिंह पिता जगदीश सिं हकंवर उम्र 24 वर्ष निवासी करकी का एक नग पड़ा व एक भैंस सुशीला सिंह पति हेमराज सिंह कवर उम्र 45 वर्ष निवासी करकी के एक नग पड़ा , लवकेश सिंह पिता ध्यानसिंह कवंर उम्र 28 वर्ष निवासी करकी के एक नग पड़ा की माके पर मौत हो गई। जसवंत सिंह पिता सम्पत सिंह कंवर उम्र 55 वर्ष निवासी ककरी के एक नग पड़ा के दाहिने पेर के पुटटे में चोट आई, रामरहिस सिंह पिता रामसोरत सिंह कंवर उम्र 40 वर्ष निवासी करकी के एक नग पड़ा के दाहिने पैर के पुटटा में चोट आई, बस में बैठै यात्री राजवती यादव के दाहिने पैर के घुटने के नीचे व दाहिने कंधे में तथा रीनू यादव को बाये हाथ की बाह पर चोट आई जो उक्त कृत्यु धारा 304,129 भा.द.स. एवं 184 एम.व्ही. एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से दादू एवं सन्स की बस. क0 एम.पी. 18 पी.

0455 के चालक आरोपी के विरूद्ध अन्य आवश्यक अनवेषण पूर्ण कर तदोपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा **304, 429 एवं 184** भा.ंद.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**3.** अभियेाग पत्र एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनॉक 17.10.2022 को धारा **304, 429 एवं 184** भादंस के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है और अभियुक्त को धारा 207 दं.प्र.स के आधीन में अभियोग पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजो की प्रतिलिपियॉ प्रदान कर दी गई है।

**4.** प्रथम दृष्टया अभियोग पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो एवं सामग्री से उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा **304, 429 एवं 184** भा.ंद.स का अभियोग प्रकट होता है जो कि संपूर्णता में अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है अतः प्रकरण विचारण हेतु धारा 209 दं.प्र.सं. के तहत माननीय सत्र न्यायालय शहडोल को उपार्पित किया जाता है।

**5.** उर्पापण की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्टेट शहडोल, लोक अभियोजक शहडोल, मालखाना नाजिर, थाना जयसिंहनगर को दी जावे। थाना प्रभारी को केश डायरी माननीय सत्र न्यायालय शहडोल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर निर्देशित किया जावे।

**6.** इस प्रकरण में **अभियुक्त दिनॉक 18.10.2022 से जमानत पर है**। अतः अभियुक्त को माननीय सत्र न्यायालय शहडोल के समक्ष नियत दिनॉक **03.01.2023** को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

**7** प्रकरण में जप्तशुदा के संबंध में थाना प्रभारी , मालखाना नाजिर को निर्देशित किया गया है।

**8.** अभियुक्त अनिल सिंह बघेल दिनॉक 03.10.2022 से 18.10.2022 तक का न्यायिक अभिरक्षा में रहे है, अतः धारा 428 दं.प्र.ंसं. का प्रमाण पत्र बनाया जाए।

**9.** प्रकरण पर्याप्त समय पूर्व व्यवस्थित कर माननीय सत्र न्यायालय शहडोल को भेजा जावे एवं तदानुसार प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जावे।

| | |
|---|---|
| निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया। | मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया। |
| सही / – | सही / – |
| **राम अचल पाल** | **राम अचल पाल** |
| **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** | **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,** |
| **जयसिंहनगर, जिला शहडोल(म0प्र0)** | **जयसिंहनगर, जिला शहडोल(म0प्र0)** |